

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ**

पत्रांक 1361/5-3
सेवा में,

कलकत्ता

दिनांक 02.11.2017

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव विभाग,
बरेली वृत्त, बरेली।

विषय:- जनपद बदायूँ में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के किमी 102.115 से 114.20 तक मार्ग के चारलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु मार्ग के दोनो ओर पड़ने वाले वृक्षों के पातन एवं 13.29 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगी की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/५७-२०१७/एफ०सी०/९१, दिनांक ३१.०८.२०१७

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैं:-

| क्र० सं० | आपत्ति | निराकरण |
|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Information at A-3 (xvii) is incomplete as the signature person making application on behalf of user agency has not been authenticated. | प्रस्ताव पर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। |
| 2 | Geo referenced map uploaded with the proposal at C-(iv) of part I does not incorporate geo coordinates of all key points defining the proposed forest land for diversion. | Geo Referenced Map के Key Point के Geo Co-Ordinate के साथ अपलोड कर दिया गया है। इसकी छायाप्रति संलग्न हैं। |
| 3 | Land schedule provided with proposal and uploaded as additional document does not provide details of position of Row & protected forest and balance remaining width of protected forest. | संरक्षित वनभूमि की गणना में Row Detail, Protected Forest & Balance Remaining Width को दर्शा दिया गया है। |
| 4 | Linear strip plan uploaded with the proposal is a hand drawn sketch without showing position of Row and other relevant dimensions. | Linear strip plan में Row Detail दर्शा दिया गया है। |
| 5 | Detail/documents regarding settlement of forest right under FRA 2006 have not been provided in part I online. | FRA Certificate 2006 आनलाइन पार्ट-I में प्रस्तुत कर दिया गया है। |
| 6 | Kml file of proposed compensatory afforestation (second patch uploaded Ulaye Kheda Van Khand-II) is not accessible. | शतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुए नया क्षेत्र सिकन्दराबाद वनखण्ड 26.58 हेक्टेयर तीन पैचों में प्रस्तावित कर Kml फाइल तैयार कर अपलोड करा दी गयी हैं। |
| 7 | Proposed compensatory afforestation patches fall in the flood plains of Ganga River which may get flooded during rainy season. The site suitability may be rechecked. | पूर्व प्रेषित शतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के बाद सम्भावित क्षेत्र को दृष्टिगत करते हुए नया क्षेत्र सिकन्दराबाद को प्रस्तावित किया गया है जोकि बाढ़ प्रभावित सम्भावित क्षेत्र नहीं हैं। |
| 8 | FRA certificate (uploaded) is without date and dispatch details. FRA certificate language needs revision to incorporate issues of right of other traditional forest dwellers. | FRA Certificate, date & dispatch No. के साथ अपलोड करा दिया गया है। |


| | | |
|----|---|--|
| 9 | NPV calculation of the proposed forest land for diversion is based on wrong rates. | भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के पत्रांक-पी नं०-503/2007-16, दिनांक 05.02.2009 के अनुपालन में 0.04 घनत्व वाले डेन्स फॉरेस्ट क्लास-III की दर 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर लगाई गई हैं जोकि इस क्षेत्र के लिए प्रचलन में हैं (पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं)। |
| 10 | Copy of part V needs to be uploaded with online part II. | शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हैं। |
| 11 | Various undertakings/certificates have not been uploaded online with the proposal. | समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ आनलाइन अपलोड करा दिये गये हैं। |
| 12 | Clarification is needs whether proposal is stand alone proposal or is part of other proposals. | उक्त प्रस्ताव किसी भी अन्य प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं हैं। |
| 13 | Concerned DFO shall clarify status of proposed forest land for diversion with respect to violation of FCA 1980. | प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण क्षेत्र 13.29 हेक्टेयर है। भारत सरकार बजट नोटिफिकेशन सं०-3208/एक्स आई वी दिनांक 13.08.1955 पर बिन्दु सं०-4 पर संरक्षित वनक्षेत्र घोषित हैं। याचक विभाग द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। |

अतः अनुरोध है कि उक्त संशोधित प्रस्ताव हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्रस्ताव तीन प्रतियों में।


(क०सी० वर्मा)

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०ने०वे०, बदायूँ


02.11.2017
(रतनेश श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ